

# भारतीय कानून और महला सशक्तीकरण

# प्रलिम्सि के लिये

महिला सशक्तीकरण से संबंधित भारतीय कानून और योजनाएँ

### मेन्स के लिये:

महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दे और सरकार के प्रयास

# चर्चा में क्यों?

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लिग समानता में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने के लिये बीजिग घोषणा (Beijing Declaration) और एलेटफार्म फॉर एक्शन (Platform for Action) की 25वीं वर्षगाँठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

# प्रमुख बदुि:

यह उच्च-स्तरीय बैठक बीजिंग घोषणा के कार्यान्वयन के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के लिये
एक अवसर है। बीजिंग घोषणा लिंग समानता के सिद्धांतों पर 15 सितंबर, 1995 को अपनाया गया एक संकल्प है।

### भारत के प्रयास:

- <u>कार्यस्थल पर महलिाओं के यौन उत्पीड़न</u> से संबंधित, <u>घरेलू हिसा से महलिाओं की सुरक्षा, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा</u> जैसे भारतीय विधान महिला सशक्तीकरण और बच्चों की सुरक्षा के प्रबल हिमायती रहे हैं।
- स<u>्थानीय निकायों में महलिाओं के लिये आरक्षण</u> और <u>बेटी बचाओ बेटी पढाओ</u> जैसी योजनाएँ, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत "200 मिलियिन से अधिक महिलाओं" को जोड़ने के साथ महिला संशक्तीकरण में एक आयाम स्थापित किया जा रहा है।
- COVID महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिये चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, पुलिस और आश्रय सुविधाएँ प्रदान करने वाले वन स्टॉप सेंटर जैसे कई उपाय किये गए।
- इसके अतिरिक्ति महामारी के दौरान कमज़ोर परिस्थितियों में महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये सामुदायिक देखभाल के बेहतर प्रयास किये गए।

# चुनौतयाँ:

- जात और धारमिक विभाजन।
- घरेल हिसा जैसे मुद्दे अभी भी गंभीरता से भारतीय समाज में विद्यमान हैं।
- जन धन खाते महलाओं को सीमित आर्थिक स्थिरिता प्रदान कर पा रहे हैं।
- <u>शकिषा और गुणवतता पाठयकरम में महलाओं की सीमति भागीदारी</u> विशेष रूप से उच्च शिक्षा नामांकन दर में महलाओं की स्थिति।
- 🔳 ज़मीनी स्तर पर महलाओं को परामर्श, चिकति्सा, कानूनी, आश्रय और अन्य सेवाओं तक पहुँच की असमर्थता।
- महिलाएँ आधी आबादी हैं, लेकिन महिलाओं की ज़रूरतों और सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता की किमी को महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट से देखा जा सकता है, जहाँ महिलाओं की सेवाओं और सशक्तीकरण तथा अपराधों की रोकथाम के लिये आवंटित वित्त बजट का मात्र 4% हिस्सा रहा है।

#### आगे की राह:

- समाज को विभाजित करने वाले इन प्रतिगामी विचारों को सामाजिक जागरूकता के माध्यम से रोकना चाहिये।
- वैशविक एजेंडा के लिये अनुकुल माहौल बनाने और परिवरतनकारी बदलाव सुनिशचित करने की आवश्यकता है।

#### बीजगि घोषणा

- वर्ष 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था।
  - ॰ प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (मैक्सिको), 1975
  - ॰ द्वतिीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (कोपेनहेगन), 1980
  - तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (नैरोबी), 1985
- मैक्सिको सम्मेलन में सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पुरुषों एवं महिलाओं में व्याप्त विषमताओं को मिटाने की दिशा में चल रहे सरकारी प्रयासों के मार्गदर्शन के लिये एक विश्व कार्ययोजना का निर्धारण किया था।
- बीजिंग सम्मलेन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (Platform for Action-PFA) को अपनाया गया था।
  - यह महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने हेतु अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास संगठन (ECOSCO) द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुमोदित करता है।

# स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-law-and-women-empowerment